# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

डेयरी प्लांट, चांदा तलावली – 453771
E-mail : ceo.ids@sanchidairy.com, marketing.ids@sanchidairy.com,
sales.ids@sanchidairy.com

## :: ई–निविदा सूचना ::

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। निविदा का कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :–

| स.क्र. | विवरण | कार्यवाही विवरण |
|---|---|---|
| **1.** | ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक 27/11/2026 को NCDFI Portal से रू. 1000/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से |
| **2.** | ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक .05/12/2026 समय 02:00 बजे तक |
| **3.** | ई–निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 06/12/2026 एवं समय 01:00 बजे से, ऑन लाइन, इंदौर दुग्ध संघ |
| **4.** | ईएमडी राशि | ईएमडी राशि रू. 283,318/– ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें। |

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकारों को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण तथा निर्माण कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई–निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रू.1000/– के मूल्य पर ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् निविदा की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर सहकारी दुग्ध संघ को हेागा।

निविदाकार की अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि अधिकतम छः माह हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं NCDFI पोर्टल पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

# इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

डेयरी प्लांट, चांदा तलावली – 453771
E-mail : ceo.ids@sanchidairy.com, marketing.ids@sanchidairy.com,
sales.ids@sanchidairy.com

## स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय | दिनांक..... को NCDFI पोर्टल से समय 12:00 बजे से |
| 2 | ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक ..... समय 02:00 बजे तक |
| 3 | तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | दिनांक ..... एवं समय 01:00 बजे से, ऑन लाइन, इंदौर दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि | **रू. 283318/– ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से** |
| 5 | ''आवश्यक अर्हताऐं'' का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 | नियम एवं शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 | .''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |
| 8 | स्मार्ट पार्लर निर्माण हेतु निविदा प्रपत्र | प्रपत्र 04 |

**निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :**

- **निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।**
- **निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति इंदौर दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**

## आवश्यक अर्हताऐं

**प्रति,**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
इंदौर।

महोदय,

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कार्य हेतु दिनांक..... को एनसीडीएफआई पोर्टल में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

| स.क्र. | आवश्यक अर्हताए | विवरण | अनिवार्य दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| 1 | निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप / एक ल स्वामित्व / कंर्सोटियम) | | निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप / एक ल स्वामित्व / कंर्सोटियम) अंकित करे। |
| 1.1 | एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंर्सोटियम / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। | | एकल स्वामित्व / कंपनी / कंर्सोटियम की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है । |
| 1.2 | निविदाकार (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म / कंर्सोटियम) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। | | पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। |
| 1.3 | निविदाकार(फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म / कंर्सोटियम निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 01,02, एवं 04 संलग्न करें। | | निविदाकार फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म / कंर्सोटियम) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 01,02 एवं 04 संलग्न करें। |

| स.क्र. | आवश्यक अर्हताए | विवरण | अनिवार्य दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| 1.4 | निविदाकार (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म / कंर्सोटियम) को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही किया गया हो तथा पुलिस थाने / मा. न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित हो। | | तदाशय का शपथ पत्र रू संबंधित अपने लेटर हेड पर प्रस्तुत करें। निविदा के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है। |
| 1.5 | निविदाकार (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फम / कंर्सोटियम) को न्यूनतम शासकीय / सहकारी / अशासकीय संस्था में फेब्रिकेशन / पार्लर निर्माण कार्य में वर्ष 2022–23,2023–24 एवं 2024–25 की अवधि में 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। | | तदाशय का शासकीय / सहकारी / अशासकीय संस्था द्वारा जारी 03 वर्षों के कार्य आदेशों की छायाप्रतियां प्रतियां अथवा अनुबंध पत्र एवं उक्त की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु लेटर हेड पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 06 पर संलग्न है। |
| 1.6 | निविदाकार(फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है। | | ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.283,318 / – की रसीद संलग्न करें। |
| 1.7 | वित्तीय वर्ष 2022–23,2023–24 एवं 2024–25 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ का टर्न ओव्हर होना अनिवार्य है। | | वित्तीय वर्ष 2022–23,2023–24, एवं 2024–25 (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) के सी.ए. से सत्यापित प्रॉफिट एंड लॉस की छायाप्रति संलग्न करें। |
| 1.8 | निविदाकार को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का जीएसटी नंबर होना चाहिए | | तदाश्य के जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें। |

नोट :–

(1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ प्रतिभागी निविदाकार को ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाए अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर – .....

नाम – .....

पता – .....

.....

मोबा. नं. .....

## स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्ते :–

1. इंदौर शहर में कुल 35 स्मार्ट पार्लर का निर्माण कराए जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गई है।
2. चयन प्रक्रिया – निविदा में प्रस्तुत निविदाओं की तकनिकी अर्हताओं के परीक्षणोंपरांत समस्त वॉछित दस्तावेज सही पाए जाने पत्र पात्र निविदाकारों की वित्तीय बिड नियमों के तहत खोली जाएगी एवं न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार का चयन नियमानुसार किया जाएगा।
3. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 07 में संलग्न है। जिसे केवल पात्र निविदाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः प्रतिभागी निविदाकार अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नही करें।
4. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृती उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रू 708,295/– बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृती उपरांत ईएमडी राशि, प्रतिभूति राशि में समायोजित होगी। तदउपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
5. भुगतान की शर्त –

5.1 70 % कार्य आदेश जारी करने एवं प्रतिभूति राशि जमा करने तथा बैंक गारंटी जमा करने पर दिया जाएगा।

5.2 10 % पार्लर का निर्माण, समिति द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात् 30 दिन में किया जाएगा।

5.3 20 % कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किया जाएगा।

5.4 दुग्ध संघ द्वारा लगभग 35 पार्लर का निर्माण कराए जाने हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गई है। सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि में समय–समय पर पार्लर की संख्या निर्धारित कर प्रबंधन द्वारा पृथक से PO जारी किया जाएगा। जिसका भुगतान कंडिका 5.1, 5.2 एवं 5.3 के आधार पर किया जाएगा।

6. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
7. मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के निविदा अमान्य किया जाएगा।
8. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में निविदाकारों की ई.एम.डी राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।
9. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
10. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर के पास निहित होगा।

11. निविदा स्वीकृति के उपरांत सफल निविदाकार की अनुबंध अवधि एक् वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकार का कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम छः माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
12. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।
**14.** निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
15. निविदाकार यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई–निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तो को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजो को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजो में काट–छाट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
16. पात्र निविदाकार को निविदा की औपचारितकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारितकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में दुग्ध संघ का निणर्य अंतिम होगा।
17. अनुबंध अवधि में निविदा की स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई दरों पर भुगतान देय नही होगा।
18. प्रतिभागी निविदाकार दरें बाजार में प्रचलित वाजिब मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समस्त व्ययों एवं कर को समाहित करते ऑन लाइन प्रस्तुत करें। ऑन लाइन दरें खोले जाने की उपरांत दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नही होगा।
19. निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकार के अन्य कारण स्वीकार नही होंगें।
20. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर के परिवर्तन से परे होना चाहिए।
21. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में, समस्त कर एवं निमार्ण की सामग्री तथा परिश्रमिक व्यय सहित रहेगा।
21.1 दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पार्लरों का निर्माण, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। पार्लर निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

| क्रं. | विलंब की अवधि | क्षतिपूर्ति राशि |
|---|---|---|
| **1.** | 15 दिवस तक | लागत का 1 प्रतिशत |
| **2.** | 16 से 30 दिवस के मध्य | लागत का 2 प्रतिशत |
| **3.** | 30 दिवस के पश्चात् | लागत का 5 प्रतिशत |

22. स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य में लगने समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।

23. सफल निविदाकार को देयकों का भुगतान समय–समय पर किए गए कार्यों के सत्यापन होने के पश्चात् किया जाएगा।

24. कार्य में उपयोग की गई सामग्रीयां प्रतिष्ठित कंपनीयों के ISI मानक स्तर के ही होने चाहिए। यदि ऐसा नही पाया जाता है तो सफल निविदाकार का यह दायित्व होगा कि वह पुनः स्मार्ट पार्लर का निमार्ण करे अन्यथा दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा।

25. सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगें। यदि ऐसा नही करते पाए जाते है तो दुग्ध संघ प्रबंधन का निणर्य सर्वोपरी होगा। जो कि सफल निविदाकार पर बंधनकारी होगा।

**26. पार्लर निर्माण कार्य हेतु भाव पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है जिसे प्रतिभागी निविदाकार को केवल ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा।**

27. पार्लर निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा स्पष्ट किए गए मापदंडों एवं गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। यदि निविदा में विर्निदिष्ट किए गए तकनिकी विवरणों व आकार में पार्लर का निर्माण नही किया जाता है अथवा गुणवत्तायुक्त समाग्रीयाँ नही पाई जाती है तो आवंटि की निविदा निरस्त कर दी जाएगी एवं दुग्ध संघ को होने वाले हानि की भरपाई ठेकेदार की दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि से की जाएगी।

28. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में सफल निविदाकार को पार्लर का निर्माण कार्य इंदौर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अन्य शहरों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नही होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकार को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नही करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौत्रा सफल निविदाकार के देयकों से किया जाएगा।

29. निविदा प्रकाशित होने के पश्चात् यदि किसी भी प्रतिभागी निविदाकार को निविदा संबंधि कोई आपत्ति होती है तो ऐसे प्रतिभागी निविदाकार निविदा सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में अपनी आपत्तियों को दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्ततु कर सकते है। निविदा की तकनिकी अर्हताएं खुलने एवं वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् किसी भी प्रतिभागी निविदाकार की कोई भी आपत्तियों पर विचार नही किया जाएगा। जिसे प्रतिभागी निविदाकार को मान्य करना होगा।

30. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र इंदौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाए जाऐंगें।

31. ई–निविदा दर खोले जाने के पश्चात् निविदाकार को ई–निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नही होगा।

32. अनुबंध अवधि में सफल निविदाकार को अपनी निविदा किसी अन्य को हस्तांतरित नही करेगा एवं न ही उपठेकेदार नियुक्त करेगा। अन्यथा ऐसा करते पाए जाने पर सफल निविदाकार की निविदा निरस्त कर उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा एवं उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

33. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठों पर एवं संलग्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना होगा।

34. सफल निविदाकार को अनुबंध अवधि में प्रोपेराइटर बदलने का अधिकार नही होगा। यदि सफल निविदाकार अपरिहार्य कारणों से प्रोपेराइटर बदलना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ

प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसा करते नही पाए जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना के उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं

उसे ब्लेकलिस्ट कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य कराए जाने हेतु दुग्ध संघ पूर्णरूप से सवतंत्र होगा।

35. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर **सफल निविदाकार** की सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा।
36. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु बैंक ग्यारंटी का प्रारूप व इससे सम्बन्धित अन्य वांछित दस्तावेज प्रबंधन द्वारा दिए जाऐंगे, जिसे सफल निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में पूर्ति करके देना होगा।
37. **स्मार्ट पार्लर का Technical Specification एवं Design निविदा प्रपत्र में पृथक से संलग्न है। जिसे प्रतिभागी निविदाकार भलिभॉति अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्तुत मापदंड के अनुसार अपनी दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करें।**
38. **सफल निविदाकार को निविदा की स्वीकृत दर 8x8 साइज का स्मार्ट पार्लर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण करना होगा। यदि अनुबंध अवधि में अन्य साइज के स्मार्ट पार्लर का निर्माण आवश्यकता अनुसार कराए जाते है तो ऐसी स्थिति में 8x8 को आधार मानते हुए अन्य साइज के स्मार्ट पार्लर का निर्माण समानुपातिक आधार पर दरें प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जा सकेगी तथा निर्माण स्थल पर पार्लर के आकार (माप) में कुछ भिन्नताएं होने पर अनुपातिक दर अनुसार गणना कर भुगतान किया जाएगा।**
39. स्मार्ट पार्लर का निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित आर्टवर्क के आधार पर करना होगा। पार्लर निर्माण हेतु आर्टवर्क एवं तकनिकी स्पेसिफिकेशन निविदा प्रपत्र में दर्शाया गया है। जिसके अनुरूप सफल निविदाकार को कार्य संपादित करना होगा।

39.1 सफल निविदाकार को स्मार्ट पार्लर का निर्माण इं.दु.सं. द्वारा निर्धारित गोल्ड पार्लर की संरचना व डिजाइन (उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों सहित) के अनुसार 8x8 साइज में करना होगा एवं उक्त साइज के अनुरूप ही गोल्ड पार्लर की संरचना व डिजाइन के अनुसार सफल निविदाकार अपनी दरें समस्त व्यय व कर को समाहित करते हुए ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

40. कार्य में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री जैसे एम.एस शीट,एसीपी शीट, जीआई शीट तथा अन्य सामग्री आदि आईएसआई ब्रांड का होकर उच्च गुणवत्तायुक्त ब्रांडेड कंपनी का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
41. पार्लर के अंदर और बाहर प्राइमर और पेंटिंग वर्क में आईल पेंट/एनोमल आईल पेंट उपयोग करना होगा।
42. पार्लर में उपयोग की गई सामग्रीयों की गुणवत्ता एक वर्ष तक खराब नही होना चाहिए,यदि खराब होती है तो निशुल्क पुनः निर्माण करवाया जाएगा, अन्यथा धरोहर राशि से उक्त कार्य करवाया जावेगा।
43. पार्लर का निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा दिए गए आर्टवर्क अनुसार ही सुनिश्चित करना होगा,आर्टवर्क का सुस्पष्ट होना आवश्यक है। आर्टवर्क अथवा उसके प्रारूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नही होगा।
44. पार्लर निर्माण हेतु नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को इंदौर शहर अथवा शहर के बाहर वेतन भत्ते या अन्य किसी भी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी। कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दुग्ध संघ उत्तरदायी नही रहेगा।

45. कार्य की गुणवत्ता अथवा सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कमी पाए जाने पर दुग्ध संघ के द्वारा अनुपातिक रूप से देयक राशि से कटौत्रा किया जाएगा।
46. इंदौर शहर के बाहर अन्य जिला मुख्यालयों एवं इसके अधीन क्षेत्रों में निर्माण किए गए पार्लर को संबंधित दुग्ध संयंत्र के प्रबंधक से सत्यापित करवाने के पश्चात् किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।
47. पार्लर का निर्माण कार्य प्रबंध की आवश्यकता के आधार पर आदेशानुसार संपादित करना होगा।
48. दुग्ध संघ द्वारा बताए गए अनुमोदित आर्टवर्क के अलावा सफल निविदाकार के द्वारा बताए गए पार्लर निर्माण कार्य का भुगतान प्रबंधन द्वारा नही किया जाएगा।
49. सफल निविदाकार को देयक के साथ किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें किए गए कार्यों की फोटो एवं प्रत्येक फोटों के नीचे कार्य का विवरण अंकित रहेगा। तदउपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाएगा।
50. अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार द्वारा निर्मित गए स्मार्ट पार्लर किन्ही कारणोवश क्षतिग्रस्त होता है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को पुनः क्षतिग्रस्त पार्लर की रिपेयरिंग वर्क पूर्ण करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
51. पार्लर निर्माण के दौरान श्रम नियम एवं अन्य वैधानिक निवर्हन के दायित्वों की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी तथा मिल्क पार्लर सफल निविदाकार द्वारा गंतव्य स्थान पर ही सही स्थिति में डिलिवरी एवं स्थापना कर देने होंगे। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार का कोई परिवहन पृथक से नहीं दिया जाएगा।
52. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत सफल निविदाकार के द्वारा जिन श्रमिकों/कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाएगा। उन श्रमिकों/कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।
53. अनुबंध अवधि में पार्लर निर्माण कार्य के दौरान कार्य में संलग्न ठेकेदार के किसी भी श्रमिक/कर्मचारी की दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर उनके क्लेम सेटलमेंट/भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु इ.दु.सं. प्रबंधन किसी भी प्रकार के दायित्वों से मुक्त होगा। जो कि ठेकेदार पर बंधनकारी होगा।

मेरे/हमारे द्वारा पार्लर निर्माण कार्य की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम आवेदन की नियम व शर्तें एवं तकनिकी विवरण तथा अन्य वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध लिया गया निणर्य सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

**हस्ताक्षर**
**निविदाकार का नाम एवं पता**

प्रपत्र क्र.03

## वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

| S.No. | Description | Total | Size | Proposed Rate Per Parlor Amount in Rs (With GST) | Proposed Rate Per Parlor Words in Rs (With GST) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Gold Smart Parlor | 35 Nos. | 8'x8' | | |

नोटः– निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकार ऑनलाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

प्रपत्र क्रं. 04

## स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा का परिचय प्रपत्र :–

स्वयं का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो लगावें।

**1.** निविदाकार का नाम .....

(फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व / कंर्सोटियम)

**2.** पिता / पति का नाम .....

**3.** स्थाई / वर्तमान पता .....

.....

.....

**4.** दूरभाष / मोबाईल नं. .....

**5.** ई–मेल एड्रेस ..... (अनिवार्य रूप से अंकित करें)

**6.** वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) .....

.....

**7.** (अ) पेन नम्बर .....

(ब) GST NO.....

(स) आधार कार्ड नम्बर.....

**8.** ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर .....

**मेरै / हमारे द्वारा सांची स्मार्ट पार्लर निमार्ण कार्य हेतु कार्य निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे / हमारे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। निविदा प्रपत्र में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।**

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

**प्रपत्र क्रं. 05**

# शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)

मै/हम ..... आत्मज ..... आयु..... निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा सांची स्मार्ट पार्लर निमार्ण कार्य हेतु दिनांक ..... को एनसीडीएफआई पोर्टल में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।

नाम– .....
हस्ताक्षर –

1. गवाह

   नामः–.....

   पताः– .....

   आधारकार्ड नं. .....

   मोबाइल नं.....

2. गवाह

   नामः–.....

   पताः– .....

   आधारकार्ड नं. .....

   मोबाइल नं.....

**इति दिनांक ..... इंदौर** **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

## सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

**इति दिनांक ..... इंदौर** **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

# शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)

मैं/हम ..... आत्मज ..... आयु..... निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा सांची स्मार्ट पार्लर निमार्ण कार्य हेतु दिनांक ..... को एनसीडीएफआई पोर्टल में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि मुझे/हमें कुल 03 वर्ष का निविदा में चाहे गए विवरण के अनुसार अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत किए गए कार्य आदेश पूर्णतः सत्य है। यदि भविष्य में इस संबंध में मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है एवं अन्वेषण में उक्त शिकायत सही पाई जाती है तो इंदौर सहकारी दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही किए जाने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा। मै/हम तत्संबंध में अपनी सहमति देते है।

नाम– .....

हस्ताक्षर –

3. गवाह

   नामः–.....

   पताः– .....

   आधारकार्ड नं. .....

   मोबाइल नं.....

4. गवाह

   नामः–.....

   पताः– .....

   आधारकार्ड नं. .....

   मोबाइल नं.....

**इति दिनांक ..... इंदौर** **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

## सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

**इति दिनांक ..... इंदौर** **हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....**

# अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु)

## स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु **अनुबंध**

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक..... ..... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, तलावली चांदा, इंदौर जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मेसर्स ..... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेंगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तों के अधीन इंदौर दुग्ध संघ व सफल निविदाकार कार्य संपादित करेंगे :–

द्वितीय पक्ष द्वारा इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर के इंदौर शहर में स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य के वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदंडों पर ई–निविदा में निविदा प्रस्तुत की गई है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तो पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा की स्वीकृत दर पर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् द्वितीय पक्ष को 30 दिवस की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को 30 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस स्मार्ट पार्लर निर्माणकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ में बतौर सुरक्षा निधि राशि रूपये ..... एम. आर. क्रमांक ..... दिनांक ..... जमा की गई है।
3. यह कि, यदि द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध के अनुसार कार्य छोड़ना चाहता है, तो उसकी दुग्ध संघ में सुरक्षा निधि राशि उस स्थिति में वापसी योग्य होगी, जब वह इन्दौर दुग्ध संघ प्रबंधन से कार्य छोड़ने हेतु लेनदारी–देनदारी, निरंक करने के पश्चात् एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित व हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करेंगे।
4. द्वितीय पक्ष को इंदौर शहर में स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य के लिए ब्रांडेड कंपनी के उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसआई मानक स्तर के समाग्रीयों का उपयोग कर कार्य पूरा करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष को स्मार्ट पार्लर का निर्माण प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं आकार के अनुसार करना होगा। स्मार्ट पार्लर के डिजाइन में द्वितीय पक्ष कोई परिवर्तन नही करेंगें। स्मार्ट पार्लर के निर्माण हेतु वांछित मटेरियल का ही उपयोग किया जाएगा तथा फ्रेब्रिकेशन के उपरांत स्मार्ट पार्लर के ढांचे पर अंदर व बाहर निर्धारित बेसपेंट व दिए गए आर्टवर्क के अनुसार पेंटिंग कार्य किया जावेगा। जिसमें कोई बदलाव मान्य नही होगा।
6. आवश्कयता प्रतिपादीत होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के स्तर से निविदा की स्वीकृत दर पर स्मार्ट पार्लर का निर्माण करेंगें। दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कर्मचारी संलग्न नही किया जाएगा व किसी प्रकार का कोई भुगतान देय नही होगा।
7. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंध अवधि में समय–समय पर आवश्यकतानुसार पार्लर के निर्माण कार्य हेतु लिखित आदेश प्रदत्त किए जाऐंगें एवं द्वितीय पक्ष को दिए गए तय समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर निर्माण, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

| क्रमांक | विलंब की अवधि | क्षतिपूर्ति राशि |
|---|---|---|
| 1. | 15 दिवस तक | लागत का 1 प्रतिशत |
| 2. | 16 से 30 दिवस के मध्य | लागत का 2 प्रतिशत |
| 3. | 30 दिवस के पश्चात् | लागत का 5 प्रतिशत |

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त अवधि के पश्चात् भी आपूर्ति नही की जाने की दशा में निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

9. द्वितीय पक्ष तथा उसके स्टॉफ प्रथम पक्ष के किभी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अभद्रता एवं अनुशासनहिनता नही करेंगें। अनुबंध अवधि में जांच के पश्चात् ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

10. पार्लर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर नही पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह पुनः उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों का उपयोग कर कार्य को पुनः पूर्ण करें अन्यथा ऐसा करते नही पाए जाने पर जितनी हानि प्रथम पक्ष को होगी उसकी गणना कर द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौत्रा कर लिया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

11. पार्लर निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर दुग्ध संघ में जमा करना होगा एवं कार्य का वेरिफिकेशन प्रबंधन से निविदा की शर्तों के अनुसार कराने के पश्चात द्वितीय पक्ष को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो देयकों का भुगतान किया जाना संभव नही होगा।

12. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक ..... से ..... तक (कुल एक वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम 06 माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

13. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान केवल निविदा की स्वीकृत दरों पर ही किया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

14. यदि किसी भी कारणवश द्वितीय पक्ष के देयकों से राशि का कटौत्रा किया जाता है तो उसका यह दायित्व होगा कि वह हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।

16. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रूपये 500/– (रूपये पांच सौ रूपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

17. देयकों का भुगतान निविदा की शर्त के अनुसार किया जाएगा।
18. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
19. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/– द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
20. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
21. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
22. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में किसी अनियमितता की जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रू 10000/– का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
23. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
24. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 ''स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त'' में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाऐंगे।
25. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए हस्तांरित की जा सकेगी।
26. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को शत्–प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
27. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी..... ठेकेदार ..... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

ठेकेदार के हस्ताक्षर .....

नाम.....

पता.....

.....

1. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पताः–.....

.....

2. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम एवं पताः–.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इंदौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

प्रभारी (विपणन)

इंदौर सह.दुग्ध संघ मर्या.